आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

26.08.2019

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता ,राजमहल।
जमाबंदी सुधार वाद सं0– 03/2013–14
बीबी नहारा खातुन
बनाम
16 आना रैयत, मौजा– बैकुण्ठपुर
आदेश

आवेदिका बीबी नहारा खातुन, पिता– स्व0 अलाउद्दीन शेख, पति– नेजामुद्दीन शेख, पिता का सा0– चांदशहर, पति का सा0– रामनगर, वर्तमान पता– सा0– इंगलिश, सरफराजगंज, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जमाबंदी सुधार वाद से संबंधित आवेदन दाखिल किया गया है। अवलोकन किया। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। दाखिल आवेदन के अवलोकन करने तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर वाद की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए मौजा के 16 आना रैयतों को नोटिश निर्गत कर कारण पृच्छा की मांग की गई तथा अंचल अधिकारी उधवा से इस कार्यालय के ज्ञापांक 26/भू0सु0, दिनांक 03.03.2014 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

विधिवत नोटिस तामिला प्राप्त होने के पश्चात उभय पक्ष अनुपस्थित। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा बैकुण्ठपुर, जमाबंदी नं0– 127, दाग नं0– 265, रकवा 15 बीघा 09 कट्ठा 15 धूर जमीन आवेदिका के ससुर ने क्रय किये। आवेदिका के ससुर के मृत्यूपरांत उनके पति स्व0 नेजामुद्दीन शेख के हिस्से प्राप्त हुआ। मौजा बैकुण्ठपुर, जमाबंदी नं0– 127, दाग नं0– 265, रकवा 15 बीघा 09 कट्ठा 15 धूर अंतर्गत रकवा 03 बीघा 12 कट्ठा 12 धूर जमीन आवेदिका के पति स्व0 नेजामुद्दीन शेख के द्वारा दिनांक 06.05.1966 को निबंधित केवाला सं0 2073/1966 के जरिये देन महर के एवज में आवेदिका को दिया गया। फलस्वरूप उपरोक्त अनुसूची की जमीन स्व0 इदार बक्स शेख के जीवनकाल से आजतक शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं अधिकार में है तथा प्रश्नगत जमीन पर आवेदिका द्वारा हर वर्ष धान का फसल लगाती एवं काटती है। उनके विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि चूंकि उपरोक्त वर्णित जमीन का पंजी II आवेदिका के ससुर स्व0 ईदार बक्स शेख के नाम से है। फलस्वरूप लगान रसीद आवेदिका के ससुर स्व0 ईदार बक्स शेख के नाम से ही जमा किया जाता रहा है।

अंत में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त अनुसूची की जमीन का जमाबंदी नं0 भूलवश 127 की जगह 388 हो गया है। फलस्वरूप आवेदिका का प्रार्थना है कि जमाबंदी नं0– 388 की जगह सुधार कर उनके स्थान पर जमाबंदी नं0– 127 दर्ज करने का अनुरोध किये हैं।

Scanned with CamScanner

मौजा बैकुण्ठपुर के 16 आना रैयत अनुपस्थित। साथ ही अंचल अधिकारी, उधवा से प्रतिवेदन अप्राप्त।

उपरोक्त तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित वाद में वाद प्रारंभ की तिथि के बाद एक भी तारीख को उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं। Bihar Tenants Holding (Maintenance of Record) Act 1973 की धारा में यह स्पष्ट है कि Continuous khatian, Tenents ledger Register & Village Maps को तैयार करने की एवं अद्यतन रखने की जिम्मेदारी अंचल अधिकारी की है।

अतः अंचल अधिकारी, उधवा को निदेश है कि आवश्यक जाँचोपरांत आवेदिका से Affidavit दाखिल करवाते हुए आवश्यक कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

102/भूमि
29.08